स्थानीय नगर निकाय एवं उनकी कार्यप्रणाली
कार्य, आयोजना, बजट, लेखा एवं अंकेक्षण

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट

Budget Analysis and Research Centre Trust

(www.barctrust.org)

स्थानीय नगर निकाय एवं उनकी कार्यप्रणाली

कार्य, आयोजना, बजट, लेखा एवं अंकेक्षण

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट
Budget Analysis and Research Centre Trust
(www.barctrust.org)

स्थानीय नगर निकाय एवं उनकी कार्यप्रणाली
कार्य, आयोजना, बजट, लेखा एवं अंकेक्षण

शोध एवं लेखनः बार्क टीम

जुलाई 2021

सहयोग –युनिसेफ

कॉपीराइट @ बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट

अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण हेतु इस पुस्तिका का उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर

यह प्रकाशन शैक्षणिक उद्देश्य हेतु संबंधित कानूनों के प्रमुख प्रावधानों का केवल सरलीकृत रुप है। यह कानूनी प्रावधानों की वास्तविक प्रस्तुती या व्याख्या नहीं है। हालांकि सूचनाओं की वास्तविकता एवं यथार्थता को बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी आवश्यकता होने पर कृपया वर्तमान कानूनों को देखें।

अनुक्रमणिका

विषय	पेज संख्या
प्रस्तावना	1
परिचय	2
1. पुस्तिका के उपयोग के बारे में सामान्य परिचय भारत और राजस्थान में नगर प्रशासन	3
2. नगरपालिका – एक संवैधानिक निकाय नगरपालिकाओं का गठन और संरचना नगरपालिका के मुख्य कार्य नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नगरपालिका अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां पार्षदों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य नगरपालिका समिति समिति का अध्यक्ष समिति की बैठक वार्ड समिति वार्ड समिति के सामान्य कार्य	4
3. नगरपालिका योजना एवं बजट नगर निकायों द्वारा आयोजना नगर निकायों का बजट नगर निकायों में बजट की आवश्यकता और महत्ता नगर निगम/नगरपालिका के लिए उपलब्ध संसाधन	14
4. लेखा एवं अंकेक्षण	23

प्रस्तावना

संविधान के 74वें संशोधन के बाद नगर निकायों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण को मजबुत आधार मिला एवं इन निकायों को विभिन्न राजनैतिक, वित्तीय एवं कार्यात्मक अधिकार प्रदान किये गये, जिसके परिणामस्वरुप स्थानीय शहरी निकायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक नये अध्याय की शुरुआत हुई। इन स्थानीय निकायों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, अपने क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनाना और लागू करना। ऐसे में यह आवश्यक है कि स्थानीय शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों–अधिकारियों एवं आम लोगों के साथ नगरीय विकास के मुद्दों पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को इस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सरल भाषा में सामग्री उपलब्ध करवाई जाये।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट, जयपुर द्वारा राजस्थान नगर पलिका अधिनियम, 2009 एवं इससे संबधित नियमों के प्रावधानों के आधार पर राज्य में स्थानीय शहरी निकायों के कार्य, आयोजना, बजट, लेखा एवं अंकेक्षण की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों की संक्षिप्त एवं सरल भाषा में जानकारी देते हुए प्रस्तुत पुस्तिका तैयार की गयी है।

आशा है कि यह पुस्तिका स्थानीय शहरी निकायों के चुने हुये प्रतिनिधियों एवं इस व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों तथा आम लोगों के अलावा नगरीय विकास के मुद्दों पर कार्य करने वाली संस्थाओं एवं प्रशिक्षकों लिये उपयोगी साबित होगी एवं शहरी निकायों के सशक्तिकरण में योगदान करेगा।

नेसार अहमद
निदेशक
बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट

परिचय

पुस्तिका के उपयोग के बारे में सामान्य परिचय:

देश और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में तीसरे स्तर की शासन इकाई के रूप में पंचायती राज संस्थान तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिकाओं का प्रावधान है। इन स्थानीय निकायों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, अपने क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनाना और उसे लागू करना। पंचायती राज इकाईयों की आयोजना की जानकारी के लिए काफी साहित्य उपलब्ध है लेकिन नगर पालिका द्वारा की जाने वाली आयोजना की जानकारी के लिए कम ही साहित्य उपलब्ध है। यह पुस्तिका इस कमी को पूरा करने का एक छोटा प्रयास है। इस पुस्तिका में राजस्थान में नगरपालिका के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में नगरपालिका कैसे कार्य करती है, इसका गठन कैसे किया जाता है, पार्षद के क्या आधिकार हैं, इनका बजट कैसे बनाया जाता है, बजट कहाँ खर्च किया जाता है, नगर पालिका में कौन–कौन सी समितियां होती हैं, इन समितियों का गठन कैसे किया जाता है, इनका अध्यक्ष कौन होता है, आदि के बारे में राजस्थान नगर पलिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को सरल भाषा में रखा गया है। इस पुस्तिका में 74 वें संविधान संशोधन के संवैधानिक प्रावधान, नगर निकाय में कानून एवं नियमों का प्रावधान और नगर निकाय आयोजना एवं बजट प्रक्रिया को संक्षिप्त एवं सरल भाषा में रखा गया है।

हमें आशा है कि यह पुस्तिका नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों, नगर निकाय के साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं नगरीय विकास के मुद्दों पर कार्यरत संस्थाओं एवं प्रषिक्षकों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी तथा नगर निकाय के सशक्तीकरण में योगदान करेगी।

खंड–1

भारत व राजस्थान में नगर प्रशासन

भारत में नगरपालिका प्रशासन

भारत में नगर प्रशासन सन् 1687 के बाद से ही अस्तित्व में है। इसकी शुरूआत सन् 1687 में मद्रास नगर निगम के गठन के साथ हुई और फिर सन् 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे (अब मुम्बई) नगर निगम की स्थापना की गई। 19वीं सदी के शुरूआत में भारत के लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन की मौजूदगी हो गयी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 के एक्ट में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगरपालिका शासन का ढांचा और उसकी शक्तियां परिभाषित की गयी। उसके बाद 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य सरकारों और प्रांतीय सरकारों के अधिकार के तहत नगरपालिका सरकार को रखा गया और इन्हें विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गयी।

राजस्थान में नगरपालिका प्रशासन

राजस्थान में नगरपालिका के इतिहास को दखें तो प्रथम नगरपालिका की स्थापना ब्रिटिश काल में सन् 1865 को आबू रोड (सिरोही) में हुई थी। सन् 1885 तक बीकानेर, जोधपुर और कोटा रियासतों में नगरपालिका स्थापित की गई थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के कानूनों के कारण ये संस्थाएं अपने स्वतंत्र अस्तित्व का विकास नहीं कर पाई और ये नाम मात्र की स्वायत्तता का उपयोग कर पाती थी। आजादी के बाद विकेंद्रीकरण के प्रयास तेज हुए और स्थानीय शासन को मजबूती प्रदान की जाने लगी। राजस्थान राज्य विकेंद्रीकरण के प्रयासों की प्रयोग स्थली बना और यहीं से नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। शहरी समाज के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर उतारने के प्रयासों के तहत राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी कस्बों और नगरों की नगरपालिकाओं के प्रशासन के लिए 1959 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित किया। वर्तमान में राज्य में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम – 2009 लागू है।

खंड–2

नगर पालिका – एक सवैंधानिक निकाय

देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में सन् 1992 में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर भाग 9 एवं 9अ जोड़े गये। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से जुड़ा हुआ है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक मजबूत आधार है। अतः इस अध्याय में 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता

यह महसूस किया गया कि नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ठीक से कार्य करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के अभाव में यह विकेंद्रीकरण को सही ढ़ग से लागू नहीं कर पा रहा था।

इसके सामने सबसे पहला संकट तो यह था कि इसका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण नगर निकायों के कार्य संचालन पर राज्य सरकार का ज्यादा नियंत्रण था। जिसके कारण धीरे–धीरे नगर निकायों के द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों/या उन्हें सौंपे गये कार्यों में कमी होनी लगी।

दूसरा संकट राजनीतिक संकट था, जिस पर संवैधानिक प्रावधान न होने के कारण नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी या नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे।

तीसरा संकट प्रतिनिधित्व का संकट था, जिसके कारण समाज के उपेक्षित वर्गों की इस तक पहुंच ही नहीं हो पा रही थी। इन निकायों में कमजोर व उपेक्षित वर्गों (महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) का प्रतिनिधित्व न के बराबर था।

अतः इन संकटों को देखते हुए संविधान संशोधन की जरूरत महसूस की गई और अंततः संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम से स्थानीय नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियों और कार्यों में अनेक परिवर्तन किये गए।

74वें संविधान संशोधन के मुख्य बिन्दु

1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
2. इस संशोधन के अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता प्रदान की गई है।
3. नगर विकास और नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में नगर और शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई है। इससे लोगों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है।
4. समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रतिशत के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे नगरीय शासन समावेशी शासन बनने की ओर अग्रसर हुआ है।
5. स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिये राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
6. स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव करवाने के लिये राज्यों में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
7. नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया किया गया है। कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व ही नई नगरपालिका का चुनाव करवाना होता है।

नगरपालिका के मुख्य कार्य

जिस तरह से शासन के हर अंग के कार्य संविधान में नियत किए गए हैं उसी तरह से नगरपालिकाओं के कार्य भी स्पष्टता से निर्धारित किए गए हैं। शहरी विकास में भूमिका निभाने वाली अन्य कईं संस्थाएं भी हैं, इनके और नगरपालिका के कार्यों का विभाजन भी किया गया है। संविधान में कुल 18 ऐसे विषय बताए गये हैं जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है। राज्य में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (अनुच्छेद–45) में इनकी विस्तृत सूची दी गई है। इस कानून में सभी नगर निकायों के लिये सामान्यतः नगर पालिका शब्द का उपयोग किया गया है। जिसके अनुसार नगरपालिका के मुख्य कार्य निम्नांकित हैं –

- लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल–निकास और मल–वहन की व्यवस्था करना।
- सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना।
- आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की संरक्षा करना।

- घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को नियमित करना।
- सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उन जगहों में, जो निजी सम्पत्ति नहीं हैं और जो जनता के उपयोग के लिए खुली हैं, बाधाओं को हटाना।
- खण्डहर भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना तथा खण्डहरों का पुनरूद्धार करना।
- मृतकों तथा मृत जानवरों के शवों के निस्तारण के लिए स्थानों का अधिग्रहण, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा नियमित करना।
- सार्वजनिक मार्गों, पुलों, नगरपालिका सीमा चिह्नों, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मलनालियों, जलनिकास संरचना, मलनाली संरचना, स्नानाघरों, धोने के स्थानों, पेय–जल स्रोतों, तालाबों, कुंओं, बांधों और इनके समान अन्य संरचनाओं का निर्माण करना, उनमें परिर्वतन करना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- सार्वजनिक तहारतों, शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण करना।
- मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना।
- जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना।
- नगरपालिका के भीतर कुत्तों के बधियाकरण (नसबंदी) और परिरक्षण के लिए व्यवस्था करना।
- व्यक्तियों की संरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और लोक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कार्य और कर्तव्य के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना।
- विष्ठा और कूड़ाकरकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए व्यवस्थाएं करना।
- कांजी हाउस स्थापित करना और उनका रख–रखाव करना।
- जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।
- सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनों के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर–ब्रिजों, सब–वे, फेरीज के निर्माण और रख–रखाव सहित संचार प्रणाली और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना।
- यातायात, अभियांत्रिकी योजनाओं, मार्ग–फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपांग तैयार करना।
- मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना।
- उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भू–दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना।

- समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और डाटा का संग्रह करना।
- जिला या क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो तो उसके साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्कीमों को समेकित करना।
- नगरपालिका के वित्त और उसके द्वारा हाथ में लिए गये विकास कार्य और अन्य गतिविधियों के बारे में वास्तविक और महत्वपूर्ण सूचनाएं लाभार्थियों और आम जनता को प्रदर्शित करना।
- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या समान किसी अन्य विधि के अधीन यथा–उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना।

नगर पालिकाओं के कुछ अन्य कार्य (अनुच्छेद : 46) :–

- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित।
- लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित।
- शिक्षा और संस्कृति से संबंधित।
- लोक कल्याण से संबंधित।
- सामुदायिक संबंधों से संबंधित।
- सरकार द्वारा बताए गए अन्य आपातकालीन कार्य।

नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया

74 वें संशोधन के बाद शहरी स्थानीय निकायों की शिहरों की आबादी और निकाय की आय के आधार पर निम्न तीन श्रेणियां हैं

नगर निगम | नगर पालिका | नगर पंचायत

नगर निगम के गठन के लिए नगर निकाय की 3 करोड़ रूपये से अधिक की आय तथा 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर परिषद् के गठन के लिए नगर निकाय की 1.75 करोड़ रूपये से 3 करोड़ रूपये तक की आय व 1.50 लाख से 10 लाख की आबादी होनी चाहिए। नगरपालिका के गठन के लिए नगर निकाय की आय 60 लाख से 1. 75 करोड़ रूपये तक की होनी चाहिए। साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र में 75 फीसदी या उससे अधिक व्यक्ति गैर कृषि कार्यों में संलग्न हों, सड़क यातायात सुदृढ़ हो, पुलिस थाना, व्यावसायिक केंद्र, विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थान होने चाहिए तथा स्वास्थ्य की सुविधा होना आवश्यक है।

राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह एक आदेश द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में सम्मिलित नहीं है, उसे नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी या नगरपालिका क्षेत्र से बाहर कर सकेगी।

अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

नगरपालिका निकाय का एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी उस निकाय के समान पांच साल का होता है। सबसे पहले जनता प्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव करती है। चुने हुए सदस्य आपस में मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के अनुसार अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्न हैं।

नगरपालिका के अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं –

- नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना।
- नगरपालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- बैठकों में कार्य संचालन को नियमित करना।
- नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना।
- हर वर्ष 31 जनवरी से पहले बजट पेश करना और उसे परिषद् में पास करवाना।
- इस अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार दिये गये कर्तव्यों का पालन करना और सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

पार्षदों की भूमिका और जिम्मेदारियां

पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल पांच साल का होता है। राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 की धारा 52 में पार्षदों की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं इसके अलावा धारा 54 में वार्ड समिति के गठ़न व संचालन में पार्षदों की भूमिका स्पष्ट की गई है। पार्षदों की मुख्य भूमिका और जिम्मेदारियां निम्न हैं :

- सभी समितियों के लिए सदस्य का चुनाव करना।
- नगर पालिका की बैठकों और कार्यवाहियों में भागीदारी और नगर पालिका के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में मतदान करना।
- नगर पालिका की बैठकों में अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को रखना।
- वार्ड के लोगों द्वारा सुझाये गए समाधानों को रखना।
- नगर पालिका गठन के 2 माह के अन्दर वार्ड समिति का गठन सुनिश्चित करना।
- वार्ड समिति की बैठक आयोजित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति वार्ड की वार्षिक योजना बनाये तथा उसे नगर पालिका की योजना में शामिल करने के लिए भेजना।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति नगर पालिका द्वारा स्वीकृत योजनाओं को लागू करे।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति, जिन योजनाओं में आवश्यक हो, जन भागीदारी सुनिश्चित करे।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति लोगों में सोहार्द और एकता बनाये रखे।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करे ।
- वार्ड समिति अपने वार्ड में कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद का आयोजन करे।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति सामुदायिक नलों, कुओं, शौचालयों और अन्य सार्वजनिक लाभ की योजनाएं सुझाये।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति सामुदायिक जल वितरण और प्रकाश व्यवस्था की समस्याओं की पहचान करे और उनके समाधान सुझाये।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति परिषद् को करों, फीस आदि की उगाही में मदद करे।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति पूरे पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करे।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्ड समिति परिषद् द्वारा दिए गए अन्य कार्य करे।
- नगरपालिका के कार्यों में किसी कमी पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाना और उसमें वांछित सुधार सुझाना।
- नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष प्रश्न रखना और प्रस्ताव आगे बढ़ाना।
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सूचना देकर नगरपालिका कार्यालयों और दस्तावेजों का निरक्षण करना।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य

हर नगरपालिका निकाय का एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जनता, नगरपालिका के प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को नगरपालिका अध्यक्ष के साथ मिलकर पूर्ण करता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 49 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर विकास से संबंधित सभी योजनाओं को लागू करता है और निर्माण कार्य की निगरानी और नियंत्रण करता है। नगर के सुनियोजित विकास के लिए कॉलोनियों और भवनों के निर्माण की स्वीकृति देता है। वह इस अधिनियम या उसके अनुरूप बनाये गये नियमों के उपनियमों का कार्यान्वयन करने के लिए कानून के अनुरूप उपनियमों का वर्णन करते हुए, नगरपालिका़ या समिति या अध्यक्ष को सलाह देता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्य –

(i) नगरपालिका के खातों की ऑडिट के दौरान उसके ध्यान में लायी गयी या ऑडिट रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी भी त्रुटि या अनियमितता को हटाने के लिए तुरन्त कदम उठाना।

(ii) नगरपालिका के धन या सम्पत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगरपालिका को करना।

(iii) नगरपालिका द्वारा कोई भी विवरण, लेखा या रिपोर्ट या अपने प्रभार का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रति प्रस्तुत करना।

(iv) नगरपालिका की नीतियों, फैसलों और निर्देशों को, यदि इस अधिनियम और उसके अनुरूप बनाये गये नियमों के उपबंधों से भिन्न न हों, तो उन्हें लागू करना और नगरपालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं के जल्द अमल में लाने के लिए आवश्यक उपाय करना।

(v) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या उसके अनुसार बनाये गये नियमों और कानूनों के अधीन या द्वारा उसे आदेशित किये जायें।

(vi) अध्यक्ष के सहयोग से अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

नगर निकाय की समितियां

राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 की धारा 55 के अंर्तगत नगर पालिका के कार्यों के संचालन के लिये निम्न समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।

1. कार्य पालिका समिति:

प्रत्येक नगरपालिका में कार्यपालक समिति होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं :

- नगरपालिका का अध्यक्ष
- नगरपालिका का उपाध्यक्ष
- विपक्ष का नेता
- निर्वाचित 7 सदस्य (जिनमें 2 महिलाएं हों)
- गठित समितियों के अध्यक्ष
- नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो कि पदेन सचिव होता है।

कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अन्य समितियाँ 10 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है।

2. वित्त समिति: इस समिति के निम्न कार्य हैं :

- यह समिति नियमानुसार निगम के लेखा जोखा का संधारण करती है।
- निगम से सम्बधित खातों के ऑडिट में सहयोग करती है।
- नगर पालिका में बजट प्रस्तुत करने के लिए बजट और उसमें परिर्वतन, पुनर्वियोजन के लिए प्रस्ताव तैयार करती है।
- करारोपण और उनकी अपील से संबंधित कार्य करती है।
- करों की वसूली के संबंध में कार्य।

3. एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति–
   50 वार्ड तक एक समिति, 51 से 75 वार्डों के लिए तीन समिति।
4. एक या अधिक रोशनी समिति–
   50 वार्ड तक एक समिति, 51 से 75 वार्डों के लिए तीन समिति।
5. भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति।
6. गन्दी बस्ती सुधार समिति।
7. भोजन व्यवस्था समिति।
8. नियम और उपविधि समिति।
9. अपराधों का रोकथाम और समझौता समिति।

इसके अतिरिक्त ऐसी समितियों का भी गठन किया जा सकता है, जो आवश्यक हों।
ये समितियां :–

- नगर निगम में 8 से कम होंगी।
- नगर परिषद् में 6 से कम कम होंगी।
- नगरपालिका में 4 से कम कम होंगी।

राज्य सरकार आवश्यकतानुसार समितियों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। नगरपालिका के गठन के 90 दिन के अन्दर इन समितियों का गठन करना आवश्यक है, अन्यथा सरकार गठन के लिए बाध्यकारी निर्देश दे सकती है।

समिति का अध्यक्ष

- नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वो ही उस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- नगरपालिका का उपाध्यक्ष यदि ऐसी किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है जिसका सदस्य अध्यक्ष नहीं हैं, तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- नगरपालिका किसी समिति के सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है।
- समिति की बैठक में नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष अथवा पदेन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति अपने सदस्यों में से बैठक का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।
- ऐसी समिति जिसका कोई नियुक्त अध्यक्ष अथवा पदेन अध्यक्ष नहीं है, वह अपने सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

समिति की बैठक

- समिति की बैठक दो माह में एक बार होगी।
- यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं।
- समिति की बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आधे सदस्य उपस्थित न हों।

वार्ड समिति

विकास में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 की धारा 54 के अंर्तगत वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान है, जिससे कि वार्ड के स्तर पर भी लोग विकास के लिए नियोजन से लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी निभा सकें। वार्ड समिति का गठन नगर निकाय के गठन के 2 माह के भीतर पार्षद द्वारा किया जाना चाहिये।

- तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियां गठित की जाती हैं। एक वार्ड समिति एक या एक से अधिक वार्ड के लिये हो सकती है।
- वार्ड समिति में पाषर्द होते हैं तथा पांच से अधिक ऐसे सदस्य होते हैं जो नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों तथा जिनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो।
- जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड हो तो उस वार्ड का पाषर्द ही उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होता है।

वार्ड समिति के सामान्य कार्य

राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 के धारा 60 अंर्तगत वार्ड समितियों के कार्य निम्न हैं

- वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करना।
- वार्ड में स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना।
- वार्ड में विकास योजना की तैयारी एवं प्रोत्साहन में सहायता करना।
- वार्ड में विकास योजना के क्रियान्वयन में सहायता करना।
- वार्ड में पार्कों के रख रखाव में सहायता करना।
- वार्ड में स्ट्रीट लाईटों के रख रखाव में सहायता करना।
- अन्य कार्य।

खंड–3

नगरपालिका आयोजना एवं बजट

नगर निकायों द्वारा आयोजना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम–2009 के धारा सख्या 156 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर विकास योजना बनाएगी। नगर विकास योजना जिला कलेक्टर व निम्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के परामर्श से तैयार की जाएगी :–

- लोक निर्माण विभाग
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
- सिंचाई विभाग
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- शिक्षा विभाग
- स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग
- योजना विभाग
- नगर सुधार न्यास / नगर विकास प्राधिकरण
- कोई अन्य विभाग जिससे नगरपालिका परामर्श लेना आवश्यक समझे

10 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के विकास का आयोजन प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर विकास योजना समिति का गठन धारा संख्या 157 के तहत किया जाता है। महानगर विकास योजना समिति में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, संगठनों व संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति शामिल किए जाने का प्रावधान है।

नगरपालिका उचित समझे तो प्रारूप (ड्राफ्ट) योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करने के लिए निम्न सदस्यों की एक सलाहकार समिति बना सकती है :–

- नगरपालिका के समस्त सदस्य
- व्यापार मंडल के सदस्य
- शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
- गैर–सरकारी संगठनों के 6 प्रतिनिधि
- 6 प्रमुख नागरिक

आयोजना को अंतिम रूप देने के बाद यह प्रारूप जिला आयोजना समिति को भेजा जाता है। जिला आयोजना समिति सम्पूर्ण जिले की आयोजना बनाती है। जिला आयोजना समिति का गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के अधीन किया जाता है।

नगर निकायों का बजट

किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली वाली कुल आय तथा व्यय का अनुमान बजट कहलाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 87 के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ से पहले बजट बनाना आवश्यक है। नगर पालिका बजट से संबधित नियम विस्तृत रूप से राजस्थान नगर पालिका (बजट) नियम 1966 में दिये गये हैं। इसके लिए मुख्य नगर अधिकारी को 15 जनवरी से पहले बजट अनुमान तैयार करना होता है जिसको पहले वित्त समिति के सामने रख जाता है। इसके बाद वित्त समिति से पास होने पर समिति के अध्यक्ष द्वारा 31 जनवरी से पहले नगरपालिका में भेजा जाता है। यह बजट नगरपालिका की वास्तविक आय तथा वास्तविक व्यय का अनुमान होता है।

नगरपालिका में 15 फरवरी तक बजट पास हो जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 89 नगरपालिका को किसी वित्त वर्ष के दौरान बजट में बदलाव लाने की शक्ति भी प्रदान करता है। नगर पालिका का बजट राज्य सरकार के नगरपालिका लेखा नियामावली–2010 के परिशिष्ट 2 में दिये गये लेखा शीर्षों की सूची एवं कोड निर्धारण के अनुसार बनाया जाता है।

बजट चक्र

किसी भी सरकार या निकाय के बजट के मुख्यत: निम्न चार आयाम होते हैं:–

1. बजट बनाना एवं पारित करना आयोजना करना एवं बजट बनाना, बजट को आमसभा में पारित करवाना, जो हर वित्तीय वर्ष से पहले पास किया जाता है।
2. बजट का क्रियान्वयन– पारित एवं अनुमोदित बजट को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान लागू किया जाता है अर्थात् उसका क्रियान्वयन होता है।
3. लेखा– वित्तीय वर्ष में बजट के क्रियांवयन के साथ आय एवं व्यय के लेखे रखे जाते हैं।
4. अंकेक्षण – वित्तीय वर्ष की सामाप्ति पर लेखों का अंकेक्षण किया जाता है।

नगर निकायों में बजट की आवश्यकता व महत्ता

वित्तीय प्रबन्धन के लिए आय–व्यय अनुमान अर्थात बजट तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निकायों में बजट एक विधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वित्तीय वर्ष का बजट नगर निकायों द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई खर्च नहीं किया जा सकता है। बजट तैयार कर लेने से लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण तथा नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बजट के द्वारा वास्तविकता आधारित कार्य नियोजन आसानी से किया जा सकता है अर्थात योजनाओं व कार्यक्रमों की प्राथमिकतायें निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इससे कार्यकलापों पर वित्तीय नियन्त्रण रखा जा सकता है और धन का अपव्यय भी रोका जा सकता है।

राजस्थन नगरपालिका (बजट) नियम, 1966 (जो वर्तमान में है), के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह अर्थात फरवरी की 15 तारीख तक नगर निकायों (आमसभा) द्वारा विचार करने के बाद पारित कर लिया जाना चाहिए। अतः बजट तैयार करने की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में अंतिम तिमाही के पूवार्द्ध में ही पूरी कर ली जानी चाहिए और इस पर नगर निकायों की बैठक में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि नीतिगत निर्णय, प्राथमिकता निर्धारण तथा जनता के हित में उचित वित्तीय निर्णय लिये जा सकें। चूंकि नगर निकाय सदस्यों से ही बना है, अतः बजट के माध्यम से सदस्यों के बहुमत से नीतियों व रणनीतियों का निर्धारण होता है। नगरपालिका द्वारा किसी वित्त वर्ष के दौरान बजट में बदलाव लाने का भी प्रावधान है।

नगर निगम/नगरपालिका को उपलब्ध संसाधन

नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में वित्तीय शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। शहरी विकास के लिए योजना निर्माण एवं इसके क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधन अति–महत्वपूर्ण हैं।

नगरपालिकाओं की वित्तीय शक्तियां निम्न हैं:–

- कर लगाने एवं उसके संग्रहण का अधिकार
- ड्यूटी, पथकर, शुल्क लगाने एवं उसके संग्रहण का अधिकार
- राज्य सरकार द्वारा लगाये गए बहुतेरे कर ड्यूटी/पथकर/शुल्क के संग्रहण का भी दायित्व नगरपालिकाओं को दिया गया है।

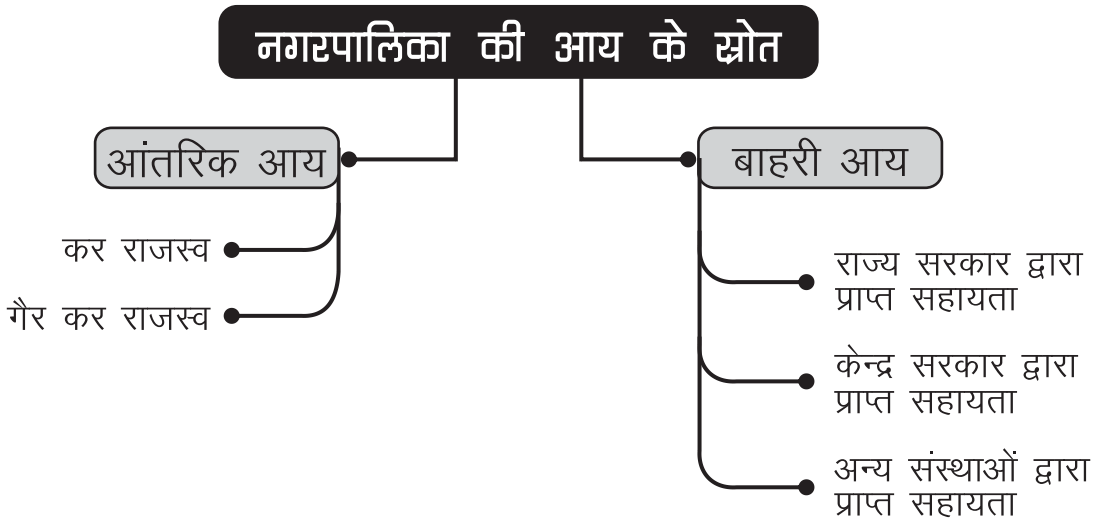

नगर निकायों के आय के स्रोत :

प्रदेश में तीनों प्रकार की नगर पालिकाओं के आय के विभिन्न स्रोत हैं। नगर निकायों से संबंधित वित्तीय प्रावधानों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है:–

- **स्वयं के संसाधन**
  - कर
  - सौंपा गया राजस्व
  - गैर–कर
- **राज्य सरकार से आय**
  - राज्य वित्त आयोग
  - राज्य से प्राप्त योजनागत आय
- **केंद्र सरकारों से प्राप्त आय**
  - केंद्रीय वित्त आयोग
  - केंद्र प्रवर्तित योजना
- **सेसायटीज से राशि**
- **विदेशी संस्थाओं से आय**
- **पुरस्कार**
- **ऋण**

➢ **निजी आय** – वह आय जो नगर निकाय अपने क्षेत्र में कर लगाकर या गैर–कर राजस्व के रूप में सृजित करती हैं।

- **कर राजस्व** –नगर निकाय को अपने क्षेत्र में विभिन्न कर लगाकर आय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है जैसे भवन कर, भूमि कर, वाहन कर, मनोरंजन कर, शराब कर आदि।
- **सौंपा गया राजस्व**– चुंगी, क्षतिपूर्ती, यात्री कर, स्टाम्प शुल्क आदि।
- **गैर–कर राजस्व**– नगर निकाय को अपने क्षेत्र में विभिन्न गैर–कर (शुल्क) से आय प्राप्त करने का अधिकार है जैसे– स्टाम्प शुल्क, ठेकों से आय, नीलामी से आय, बाजार शुल्क, किराया, अर्थदण्ड, उपभोक्ता शुल्क, सम्पत्ति कर, जल कर आदि।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय–7 में नगर पालिका द्वारा लगाये जा सकने वाले कर एवं फीस आदि से संबधित प्रावधान दिये गये हैं।

➢ **राज्य सरकार से आय**– नगर निकाय को राज्य सरकार से मुख्य रूप से तीन मदों से राशि प्राप्त होती हैं :

- **आयोजना राशि:** राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय को राज्य की वार्षिक आयोजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन हेतु जारी राशि जैसे : स्थानीय विधायक विकास निधी आदि।

- **राज्य वित्त आयोग से राशि:** राज्य वित्त आयोग 5 वर्षों के लिये अपनी सिफारिशें देता है। संविधान के अनुच्छेद 243(च) और 243(ल) के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार हर 5 वर्ष बाद (पंचायत चुनाव पश्चात) राज्य वित आयोग का गठन करती है। यह आयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की पिछले 5 वर्षों की भौतिक व वित्तीय प्रगति का पुर्नावलोकन करता है। आयोग पिछले 5 वर्षों के आकलन के आधार पर अगले 5 वर्षों के लिये स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्धकर राजस्व में से राशि आवंटन हेतु राज्य से सिफारिश करता है। यह आयोग, स्थानीय निकायों के मध्य राशि वितरण, स्थानीय निकायों द्वारा कर, उपकर, पथकर, फीस व शास्तियां लगाने एवं स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने संबंधी सुझाव व सिफारिशें भी राज्य सरकार को देता है। राज्य विधान मंडल, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर विचार–विमर्श करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करता है।

  राजस्थान में अब तक छः राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। छठे वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है जिसका कार्यकाल डेढ़ वर्ष (अप्रेल 2021 से अक्टुबर 2022 तक) के लिए है। छठे वित्त आयोग को आगामी 5 वर्षों (2021–26) की अवधि के लिये अपनी सिफारिशें देनी है।

➢ **केंद्र सरकार से आय–** नगर निकाय को केन्द्र सरकार से भी विभिन्न आय प्राप्त होती है। केन्द्र सरकार से नगर निकाय को मिलने वाली राशि भी राज्य सरकार के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाती है। नगर निकाय को केंद्र सरकार द्वारा योजना के संचालन एवं विकास के लिए मिलने वाली राशि :–

- **केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि:** केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से नगर निकायों को योजनाओं के संचालन एवं विकास के लिए मिलने वाली राशि – स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, स्थानीय सांसद विकास मद आदि हैं।
- **केन्द्रीय वित्त आयोग:** केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरित करने के लिये अलग से राशि उपलब्ध करवाता है। देश में अब तक 15 केन्द्रीय वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। 15वें वित्त आयोग का विस्तृत विवरण आगे बॉक्स में दिया गया है।

15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग:

वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये नियम बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार देश में शहरी स्थानीय निकायों को 2021–26 की अवधि के लिए 1,21,055 करोड़ रुपये और शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2021–26 की अवधि के लिए 7,696 करोड़ रुपये तथा शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान हेतु 4423 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का 50 प्रतिशत मूल अनुदान (Basic Grant – Untied Fund) और शेष 50 प्रतिशत बन्ध–अनुदान (Tied Fund) के रूप में होगा।

- **सोसायटीज से राशि:** केंद्र तथा राज्य स्तर पर बहुत सी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सोसायटीज के माध्यम से किया जाता है। इन सोसायटीज के माध्यम से भी नगर निकायों को कुछ कार्यक्रमों/योजनाओं के संचालन हेतु राशि जारी की जाती है।
- **विदेशी संस्थाओं से आय:** राज्य सरकार के माध्यम से नगर निकायों को बाहरी वित्त पोषित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन के लिए मिलने वाली राशि होती है। विदेशी संस्थाओं से कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन के लिए मिलने वाली राशि प्रायः राज्य को कर्ज या अनुदान के रूप में दी जाती है।
- **पुरस्कार:** राशि वह राशि जो नगर निकायों को केंद्र एवं राज्य सरकार से उनके उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में दी जाती हैं।
- **उधार/कर्ज:** नगर निकाय राज्य सरकार की अनुमति से नाबार्ड से कर्ज ले सकती है।

नगर निकायों के व्यय :

नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग नगर पालिका अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है। व्यय दो प्रकार के होते हैं, **राजस्व व्यय** एवं **पूंजीगत व्यय** अथवा आवर्ती व्यय तथा अनावर्ती व्यय। राजस्व व्यय में मुख्यतः ऐसे व्यय आते हैं जिनका प्रभाव उसी वर्ष में दिखता है, जबकि पूंजीगत व्यय में ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनके दीर्घकालिक प्रभाव दिखते हैं जैसे निर्माण कार्य। राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम, 1963 के अनुसार व्यय के निम्न मुख्य मद होते हैं।

सामान्य प्रशासन व्यय: इसके अंर्तगत वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, टेलीफोन, सामूहिक बीमा, न्यायालय सम्बधित व्यय, ऑडिट फीस, पार्षदों का भत्ता, अनुबंध पर सुरक्षा प्रहरियों का व्यय, अध्ययन यात्रा व्यय आदि शामिल हैं।

कर वसुली : नगर पालिका के द्वारा कर वसूली कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, यात्रा, टेलीफोन चिकित्सा भत्ते पर व्यय आदि।

जन स्वास्थ्य: इस मद में वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, टेलीफोन पर व्यय के अतिरिक्त घर–घर जाकर कचरा संग्रहण करने पर व्यय।

सार्वजनिक रक्षा: इस कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा, टेलीफोन, चिकित्सा भत्ते पर व्यय के अतिरिक्त अग्नि बुझानें के यंत्रों पर व्यय शामिल हैं।

रोशनी: इस कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा, टेलीफोन, चिकित्सा भत्ते पर व्यय के अतिरिक्त बिजली के बिलों का भुगतान, बिजली के सामान का क्रय आदि।

पशु गृह: गौशाला/दबावखानों में पशुओं के चारे, पानी एवं दवाई की व्यवस्था।

उद्यान: इस कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा, टेलीफोन, चिकित्सा भत्ते पर व्यय।

सार्वजनिक मरम्मत: इस कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा, टेलीफोन, चिकित्सा भत्ते पर व्यय आदि।

शिक्षा: इस कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा, टेलीफोन चिकित्सा भत्ते पर व्यय।

जलप्रदाय: कर्मचारियों एवं इस कार्य में सलंग्न लोगों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, टेलीफोन पर व्यय किया जाता है।

विकास कार्य: जैसे सड़क, नाली, शौचालय, श्मशान, कब्रिस्तान, कच्ची बस्ती विकास, कचराग्रह का निमार्ण आदि पर व्यय किया जाता है।

नवीन सम्पति क्रय: जैसे ट्रेक्टर, फायर उपकरण, सफाई उपकरण आदि।

ऋण भुगतान: केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का ऋण भुगतान आदि व्यय।

विविध व्यय: अस्थाई अग्रिम, त्यौहार अग्रिम, सामाजिक दायित्व, क्षमतार्वधन आदि पर व्यय। नगर निकायों के बजट में उपयोग होने वाले लेखा शीर्ष एवं कोड की सूची राजस्थान नगर पालिका लेखा नियमावली के परिशिष्ट 2 में दी गई है।

उदाहरण के लिए कोटा नगर निगम के बजट 2019–20 की प्रति का एक पेज नीचे दिया गया है, जिसमें कोटा नगर निगम का 2017–18 (वास्तविक), 2018–19 (संशोधित अनुमान) तथा 2019–20 (बजट अनुमान) दिये हुये हैं।

NAGAR NIGAM KOTA

Major Account Head Wise Budget for the period 2019-2020

Amt in Lakh Rs.

SNo.	Major Account Head	Major	Actual for the Previous year 2017-2018	Budget Estimation for the Current Year 2018-2019	Revised Estimation for the current year 2018-2019	Budget estimation for the Next year 2019-2020
	REVENUE RECEIPTS					
	Tax Revenue	110	15332.17	17993.50	17993.50	23067.00
	Rental Income from Municipal Properties	130	76.71	78.00	78.00	190.00
	Fees & User Charges	140	2220.53	4619.00	4619.00	6644.00
	Sale & Hire Charges	150	19.21	15.00	15.00	15.00
	Revenue Grants, Contribution and Subsidies	160	7.60	60.00	60.00	60.00
	Income from Investments	170	288.30	60.00	510.00	500.00
	Total		**17944.**	**22825.5**	**23275.5**	**30476.00**
	REVENUE EXPENDITURE					
	Establishment Expenses	210	6724.98	13129.95	13129.95	19954.10
	Administrative Expenses	220	391.68	673.10	1073.10	1177.10
	Operations & Maintenance	230	1939.47	6996.50	6996.50	7984.80
	Programme Expenses	250	477.60	701.00	701.00	701.00
	Revenue Grants, Contribution and Subsidies	260	0.00	2.00	2.00	2.00
	Miscellaneous Expenses	271	735.19	1300.00	1800.00	1837.00
	Total		**10268.**	**22802.5**	**23702.5**	**31656.00**
	CAPITAL RECEIPTS					
	Grants , Contribution for specific purposes	320	9349.45	15000.00	19254.05	20650.00
	Secured Loans	330	0.00	0.00	40.00	50.00
	Deposits Received	340	229.03	405.00	405.00	405.00
	Other Liabilities	350	1478.49	10020.00	10020.00	7520.00
	Total		**11056**	**25425.0**	**29719.0**	**28625.00**
	CAPITAL EXPENDITURES					
	Fixed Assets	410	9870.26	23294.00	27588.05	25741.00
	Loans, Advances and Deposits	460	830.86	450.00	450.00	700.00
	Total		**10701.**	**23744.0**	**28038.0**	**26441.00**

स्रोत: http://kotamc.org

खंड–4

लेखा एवं अंकेक्षण

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 90 से धारा 100 तक के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रखते हैं। नगर निकायों को अपने लेखे राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के अनुसार रखने होते हैं। इसके आधार पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगरपालिका लेखा नियमावली, 2010 भी बना रखी है जिसके अनुसार लेखे रखे जाते हैं। इस नगरपालिका लेखा नियमावली में नगरपालिका से संबंधित समस्त वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के ब्यौरे दिये गये हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नगरपालिका के लेखाओं के उचित रखरखाव के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर, एक वित्तीय विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए, नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय का लेखा तथा प्राप्तियां और भुगतान का लेखा होता है, और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका की परिसंपतियों और देनदारियों का एक तुलना–पत्र तैयार करते हैं।

वित्तीय विवरण और तुलनापत्र में नगरपालिका लेखाओं की परीक्षा और अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को आवश्यक खाते प्रस्तुत करते हैं। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं उसके अधिनस्थ अधिकारी किसी भी मद की आपत्ति रिर्पोट वित्त समिति को कर सकता है। वित्त समिति जल्दी ही रिर्पोट पर विचार करती है तथा आवश्यक होने पर तुरन्त कार्यवाही करती है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अंकेक्षण किया हुआ वित्तीय विवरण, तुलनापत्र तथा अंकेक्षण रिर्पोट वित्त समिति के समक्ष रखता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी त्रुटी को जो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा इंगित की गई है, को दूर करते हैं तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आरोपों एवं त्रुटियों के जवाब नगरपालिका के समक्ष रखते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अंकेक्षण किया हुआ वित्तीय विवरण, तुलनापत्र तथा अंकेक्षण रिर्पोट स्वीकृत करने के पश्चात नगरपालिका द्वारा की गई टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भेजता है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की रिर्पोट तथा नगरपालिका द्वारा की गई टिप्पणी में कोई अन्तर है तो राज्य सरकार कार्यवाही के लिए बाध्य है।

इसके अलावा नगरपालिका अधिनिमय 2009 की धारा 99क के अनुसार नगरपालिकाओं के लेखे का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी अंकेक्षण किये जाने और इसकी रिपोर्ट को विधान सभा में रखे जाने का प्रावधान है।

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट:

(1) नगरपालिका प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के पश्चात् यथा शीघ्र और 30 जून के पश्चात् तक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

(2) मुख्य नगरपालिका अधिकारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे नगरपालिका के समक्ष विचार के लिए रखते और उस पर नगरपालिका के प्रस्ताव के साथ उसे राज्य सरकार को भेजते हैं।

संदर्भ

1. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009
2. नगर पालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009
3. राजस्थान नगर पालिका (समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य) नियम, 2009
6. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2016
7. राजस्थान शहरी विकास कोष (व्यवसाय का संचालन) नियम, 2016
8. राजस्थान नगर पालिका लेखा नियमावली, 2010
9 राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम, 1963
9. राजस्थान नगर पालिका (बजट) नियम, 1966
4. राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954
5. राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955

बार्क ट्रस्ट के प्रमुख प्रकाशन:

S No.	Title	Year
01	Panchayati Raj System in Uttarakhand (in Hindi)	2016
02	Policies and Programmes for Children in Rajasthan (in English)	2016
03	Sources of Funds for Panchayats (in Hindi)	2016
04	Village Work Guideline [Gram Karya Nirdeshika (GKN)] (in Hindi)	2017
05	Social Sector Budgets in Rajasthan (in English)	2019
06	Promoting Participation: Unpacking the Budgetary Process of the State Government (in English)	2019
07	Promoting Participation: Unpacking the Budgetary Process of the State Government (in Hindi)	2019
08	Skill Development Policies and Programmes in Rajasthan: An Overview (in English)	2019
09	Status of Child Budget in India and way forward for Rajasthan (in English)	2019
10	Policy Brief on District Mineral Fund Trust (in Hindi)	2019
11	Policy Brief on TSP and SCSP in Rajasthan (in Hindi)	2019
12	Policy Brief: Resource gap in Nutrition in Rajasthan (in English)	2019
13	Panchayati Raj System in Uttarakhand (in Hindi)	2016
14	Policy Brief: Resource gap in Nutrition in Dholpur (in English)	2019
15	COVID– 19: Relief measures announced by the Rajasthan and Union governments (in English)	2020
16	Implementation of COVID-19 Relief Measures of Union and State Governments in Rajasthan (in English)	2021
17	Relief Measures for COVID-19 in Select Indian States (Kerala, Punjab, Uttar Pradesh, Odisha, Chhattisgarh and Assam) (in English)	2021
18	Manual on Urban Governance (in Hindi)	2021
19	Mapping of Urban Government Institutions Working Towards Sustainable Development Goals in Rajasthan (in English)	2021
20	Mitigating the Impacts of Covid-19 Lessons from the First Wave (in English)	2021
21	Policy Brief on Budget and programmes for Minorities (in Hindi)	2021

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट

Budget Analysis and Research Centre Trust

ई–मेलः barctrust@gmail.com

वेबसाइटः www.barctrust.org

ई–758–59, द्वितीय मंजिल, नकुल पथ, लाल कोठी स्कीम, लालकोठी, जयपुर,

फोन–0141–2740073